



AFR

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

TAX CASE No. 76 of 2023

(इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल रायपुर बेंच, रायपुर द्वारा ITA No. 16/RPR/2019 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 से उद्भूत)

कमिश्नर आफ इनकम टैक्स (एकजम्पशन) भोपाल (म०प्र०)

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

कान्यकुब्ज सभा, रायपुर, पंडित रविशंकर शुक्ला
कान्यकुब्ज छात्रावास, बैरन बाजार, रायपुर (छ०ग०)

.....उत्तरवादी

अपीलार्थी द्वारा श्री अमित चौधरी अधिवक्ता।

डिवीजन बेंच- माननीय श्री जस्टिस संजय के० अग्रवाल एवं
माननीय श्री जस्टिस अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

आदेश
(दिनांक 27.09.2024)

संजय के० अग्रवाल, जस्टिस

1. अपील की ग्राह्यता तथा विधि के सारवान प्रश्न के अंतर्वलन पर उभयपक्षों को सुना गया।
2. यह राजस्व अपील धारा 260-ए, इनकम टैक्स अधिनियम 1961 (जिसे आगे अधिनियम 1961 कहा गया है), के तहत, इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल रायपुर, शाखा रायपुर (जिसे आगे ITAT कहा गया है) द्वारा ITA NO 16/RPR/2019 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 के विरुद्ध पेश की गई है।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्ततः यह है कि आवेदक सोसायटी, जो कि इस प्रकरण में उत्तरवादी है, ने अधिनियम 1961 की धारा 12AA के तहत पंजीयन हेतु फार्म नंबर-10 ए में इनकम टैक्स कमिश्नर (एकजम्पशन) भोपाल (जिसे आगे CIT (E) कहा गया है) के समक्ष आवेदन पेश किया था। उक्त सोसायटी की गतिविधियों,




उद्देश्यों और धारा 12AA के तहत निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति होने के संबंध में जांच करने के लिए CIT (E) द्वारा आवेदक सोसायटी को नोटिस भेजी गई। आवेदक सोसायटी ने लिखित कथन पेश करते हुए, अभिवचनित किया कि सोसायटी का उद्देश्य, कान्यकुब्ज समुदाय एवं आम जनता की भलाई के लिए काम करना है और उक्त सोसायटी, पंजीयक सोसायटी, दुर्ग के समक्ष विधिक रूप से पंजीकृत करायी गयी है। आवेदक सोसायटी के संविधान का मुख्य उद्देश्य कान्यकुब्ज समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और समुदाय की सहायता करना तथा समुदाय के बच्चों को शिक्षित करना भी है। ज्वाइंट कमिश्नर, इनकम टैक्स तथा संबंधित अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट दिनांक 31.10.2018 के अनुसार आवेदक सोसायटी को अधिनियम 1961 की धारा 12AA के तहत पंजीयन हेतु इस आधार पर पात्र नहीं होना लेख किया गया कि आवेदक सोसायटी द्वारा कोई जनहित का कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके बाद CIT (E) द्वारा अधिनियम 1961 की धारा 12AA (1)(b)(ii) के अंतर्गत दिनांक 28.11.2018 को आदेश पारित कर, आवेदक सोसायटी की ओर से प्रस्तुत आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि आवेदक सोसायटी द्वारा आम जनता के लिए कोई जनहित का कार्य किये जा रहे होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और आवेदक सोसायटी का उद्देश्य, केवल एक विशिष्ट समुदाय, "कान्यकुब्ज समाज" जो कि कान्यकुब्ज गोत्र से संबंधित ब्राम्हण समुदाय का एक उप समुदाय है, को लाभ पहुंचाने मात्र का है। अतः आवेदक सोसायटी अधिनियम 1961 की धारा 12AA के तहत पंजीयन योग्य नहीं है। CIT (E) के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर आवेदक सोसायटी द्वारा ITAT के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 21.09.2022 को आदेश पारित करते हुए अपील स्वीकार की गई तथा अधिनियम 1961 की धारा 12AA के तहत आवेदक सोसायटी का पंजीयन करने का निर्देश दिया गया। इस अपील में ITAT के उक्त आदेश दिनांकित 21.09.2022 को प्रश्नागत किया गया है।



4. अपीलार्थी राजस्व विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमित चौधरी द्वारा तर्क किया गया है कि CIT (E) के आदेश को पलटते हुए, आवेदक सोसायटी को अधिनियम 1961 की धारा 12AA के तहत पंजीकृत करने बाबत पारित आलोच्य आदेश पूर्णतः अनुचित एवं अविधिक है तथा अभिलेख में मौजूद साक्ष्य एवं विधि के विपरीत है। आवेदक सोसायटी का उद्देश्य पूर्णतः धार्मिक प्रवृत्ति का है अतः ITAT द्वारा आवेदक सोसायटी की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य थी। अतः विधि का प्रश्न उत्पन्न होने से यह अपील, तदनुरूप विधिक बिंदु निर्धारित कर सुनवाई किये जाने योग्य है।
5. उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये हैं तथा अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया गया है।
6. सर्वप्रथम जनहित कारी न्यास एवं संस्थाओं के पंजीयन संबंधी अधिनियम 1961 की धारा 12AA का अवलोकन किया जाना उचित होगा जो निम्नानुसार है—

12AA रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

- (1) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, किसी न्यास/संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए [धारा 12A](#) की उपधारा (1) के खंड (a) या खंड (aa) या खंड (ab) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर,—
 - (a) न्यास या संस्था से ऐसे दस्तावेज या जानकारी मंगा सकेगा, जिन्हें वह स्वयं का निम्नलिखित के बारे में समाधान करने के लिए आवश्यक समझे,—
 - (i) न्यास या संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता; और
 - (ii) न्यास या संस्था द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अन्य विधि का अनुपालन, जिसका अनुपालन इस कारण से अपेक्षित है कि वह उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तात्त्विक





है, और वह ऐसी जांच भी कर सकेगा, जो वह इस निमित्त आवश्यक समझे; और

(b) खंड (a) के उपखंड (i) और उक्त खंड के उपखंड (ii) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन—

(i) न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए लिखित में आदेश पारित करेगा;

(ii) न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करने के लिए लिखित में आदेश पारित करेगा यदि उसका समाधान नहीं होता है, और ऐसे आदेश की एक प्रति आवेदक को भेजी जाएगी :

परन्तु उपखंड (ii) के अधीन ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(1A) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त के समक्ष लंबित ऐसे सभी आवेदन, जिन पर 1 जून, 1999 के पूर्व उपधारा (1) के खंड (b) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, उस दिन को प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अंतरित हो जाएंगे और प्रधान आयुक्त या आयुक्त उस उपधारा के अधीन ऐसे आवेदनों पर ऐसे प्रक्रम से आगे कार्यवाही कर सकेगा जिस पर वे उस दिन को थे।

(2) उपधारा (1) के खंड (b) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने या उससे इन्कार करने वाला प्रत्येक आदेश [धारा 12A](#) की उपधारा (1) के खंड (a) या खंड (aa) या खंड (ab) के अधीन आवेदन प्राप्त करने वाले मास के अंत से छह मास के अवसान के पूर्व पारित किया जाएगा।



- (3) जहां किसी न्यास या किसी संस्था को उपधारा (1) के खंड (b) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या धारा 12A [जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) द्वारा इसका संशोधन किए जाने से पूर्व विद्यमान थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है और तत्पश्चात् प्रधान आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, ऐसे न्यास या संस्था के कार्यकलाप प्रामाणिक नहीं हैं या वे न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं तो वह ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने संबंधी आदेश लिखित रूप में पारित करेगा:

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे न्यास या संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

- (4) उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी न्यास या किसी संस्था को उपधारा (1) के खंड (b) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या उसने [धारा 12A](#) [जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) द्वारा उसके संशोधन के पूर्व विद्यमान थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और तत्पश्चात् यह अवेक्षा की जाती है कि :

- (a) न्यास या संस्था द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप ऐसी रीति में किए जा रहे हैं कि [धारा 11](#) और [धारा 12](#) के उपबंध इस प्रकार लागू नहीं होते हैं कि ऐसे न्यास या संस्था की संपूर्ण आय या उसके किसी भाग





को [धारा 13](#) की उपधारा (1) के प्रवर्तन के कारण अपवर्जित किया जाए; या

- (b) न्यास या संस्था ने किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है, जैसा कि उपधारा (1) के खंड (a) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट है और आदेश, निदेश या डिक्री, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो यह धारित करती है कि ऐसा अननुपालन हुआ है, को या तो प्रश्रुत नहीं किया गया है या उसने अंतिमता प्राप्त कर ली है, तब, प्रधान आयुक्त या आयुक्त लिखित आदेश द्वारा ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा:

परंतु इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण उस दशा में रद्द नहीं किया जाएगा यदि न्यास या संस्था यह साबित कर देती है कि क्रियाकलापों को उक्त रीति से किए जाने के लिए युक्तियुक्त कारण था।

- (5) इस धारा की कोई बात 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी।

7. उपरोक्त विधिक उपबंधों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि पंजीयन की अनुमति प्रदान करते समय इन्कम टैक्स कमिश्नर (एक्जम्पशन) द्वारा मुख्यतः न्यास के उद्देश्यों को तथा यह देखना आवश्यक होता है कि जिस न्यास द्वारा अधिनियम 1961 की धारा 12AA के तहत आवेदन किया गया है, उसके द्वारा अधिनियम की अपेक्षा अनुसार समस्त विवरण विहित प्रारूप में भरा गया है और न्यास के उद्देश्य एवं गतिविधियों के संबंध में प्रारंभिक जांच कर संतुष्टि करना भी आवश्यक होता है। ऐसी जांच के पश्चात्, न्यास





की गतिविधियों की सत्यता के संबंध में संतुष्टि उपरान्त, वह उक्त न्यास/संस्था को पंजीकृत करने का निर्देश दे सकता है।

8. माननीय न्याय दृष्टांत **कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स, उज्जैन विरुद्ध दाउदी बोहरा जमात, (2014) 16, SCC 2022** में माननीय उच्चतम न्यायालय में अधिनियम 1961 की धारा 12AA के संबंध में निर्णय की कंडिका 12, 13 एवं 14 में यह निर्धारित किया है—

12. धारा 12AA, कमिश्नर द्वारा अधिनियम की धारा 12AA के तहत रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की प्रक्रिया उपबंधित करती है। उक्त प्रक्रिया के अनुसार, कमिश्नर, दस्तावेज एवं जानकारी आहूत करेगा तथा न्यास की वास्तविकता के संबंध में जांच कर स्वयं की संतुष्टि करेगा तथा न्यास की गतिविधियों एवं उसके उद्देश्यों की प्रकृति धार्मिक अथवा धर्मार्थ होने की संतुष्टि उपरान्त, पंजीयन की अनुमति प्रदान करेगा। यदि वह उपरोक्तानुसार संतुष्ट न हो, तो पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत कर सकेगा।

13. धारा 13, विभिन्न स्रोतों से आय के संबंध में धारा 11 के तहत उपबंधित अपवादों की उपलब्धता पर पूर्ण निषेध घोषित करती है। धारा 11 वहां प्रभावी नहीं होगी, जहां धारा 13 आकर्षित होती है। इस प्रकरण में धारा 13(1)(b) सुसंगत है जो निम्नानुसार है—

13. कतिपय दशाओं में धारा 11 का लागू न होना

(1) धारा 11 या धारा 12 की किसी बात का इस प्रकार से प्रभाव नहीं होगा जिससे उस व्यक्ति की पूर्व वर्ष की कुल आय में से, जो उसे प्राप्त करता है, निम्नलिखित अपवर्जित हो जाए :—





(a) ** ** *

(b) पूर्त प्रयोजनों के लिए किसी न्यास की या किसी पूर्त संस्था की दशा में, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् सृजित किया गया या स्थापित की गई है, उसकी कोई आय यदि वह न्यास या संस्था किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय या जाति के फायदे के लिए सृजित किया गया या स्थापित की गई है;

उक्त उपबंध यह कहता है कि किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय अथवा जाति को लाभ पहुंचाने के लिए स्थापित किये गये किसी जनहितकारी न्यास की आय को अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत छूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार, समग्र रूप से पढ़े जाने पर, जहां धारा 11 के अंतर्गत किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के हित के लिए जनहित कार्य उद्देश्य से स्थापित कोई न्यास, एक वैध लोक कल्याणकारी न्यास हो सकता है, वहीं धारा 13(1) (b) के अंतर्गत ऐसे न्यास को किसी छूट का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, परिणामस्वरूप उक्त न्यास की आय पर अधिनियम के तहत टैक्स देय होगा।

14- इस प्रकार, अधिनियम के अनुसार, धारा 11 एवं 12, मूलभूत प्रावधान हैं जो धार्मिक अथवा लोक कल्याणकारी न्यास को अपवाद प्रदाय करते हैं। ऐसे सामाजिक न्यास द्वारा संधारित संपत्ति से प्राप्त आय तथा उक्त न्यास को प्राप्त स्वैच्छिक अनुदान, अधिनियम के अंतर्गत टैक्स से छूट प्राप्त करने की विषयवस्तु होते हैं। अधिनियम की धारा 12-A एवं





धारा 12-AA में धारा 11 एवं 12 के तहत ऐसी छूट प्राप्त करने का दावा/ आवेदन प्रस्तुत करने तथा कमिश्नर द्वारा उसके स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया उपबंधित की गई है। धारा 11, धारा 12, धारा 12-A एवं धारा 12-AA के संयुक्त अवलोकन से स्पष्ट दर्शित होता है कि धारा 12-A एवं धारा 12-AA के तहत पंजीयन होना, धारा 11 एवं 12 के तहत छूट का लाभ प्राप्त करने की पूर्ववर्ती शर्त है। जब तक कोई सस्था उक्त प्रावधानों के तहत पंजीकृत नहीं होगी, वह अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत छूट का लाभ प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकती। धारा 13 में उन परिस्थितियों का वर्णन है, जहां कोई धार्मिक अथवा धर्मार्थ न्यास छूट का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता जो अन्यथा धारा 11 एवं 12 के तहत ऐसी छूट प्राप्त कर सकता है। इस कारण, किसी न्यास को उपरोक्त प्रावधानों के तहत छूट प्राप्त करने का अधिकारी होने के संबंध में निर्धारण के लिए धारा 13 को धारा 11 एवं 12 के साथ पढ़ा जाना आवश्यक है।



- 9- इस संबंध में उच्च न्यायालय गुजरात द्वारा **कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स विरुद्ध बरकते सैफिया सोसायटी**, (1995) 213, ITR 492 के प्रकरण में पारित निर्णय अवलोकनीय है जिसमें निर्धारित किया गया है कि धारा 13(1)(b) केवल उन्हीं न्यासों पर लागू होगी, जिनका उद्देश्य पूर्णतः जनहितकारी है। यदि आवेदक न्यास, धर्मार्थ और धार्मिक दोनों प्रकार के उद्देश्य रखता है, तब अधिनियम 1961 की धारा 13(1)(b) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।



10- इसी प्रकार, उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा **कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स विरुद्ध विजय वर्गीय वानी चैरिटेबल ट्रस्ट, (2014) 369, ITR 360** के प्रकरण में विशिष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि पंजीयन की अनुमति देते समय, न्यास जिन उद्देश्यों के लिए निर्मित किया गया है, केवल उन्हें देखना आवश्यक है तथा ऐसे न्यास न्यास न्यास की गतिविधियों की सत्यता के संबंध में इनकम टैक्स कमिश्नर की संतुष्टि कोई निर्धारक घटक नहीं है क्योंकि न्यास, केवल गतिविधियों का संचालन/आयोजन करता है। अतः अधिनियम 1961 की धारा 12AA के तहत पंजीयन की अनुमति प्रदान करने के लिए उक्त गतिविधियों की सत्यापन बाबत संतुष्टि होने का बिंदु देखा जाना आवश्यक नहीं है।

11- इस प्रकरण में ITAT ने गुजरात उच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर विश्वास करते हुए तथा प्रश्नागत सोसायटी के संविधान के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि उक्त सोसायटी धर्मार्थ होने के साथ-साथ, धार्मिक भी है, अतः अधिनियम 1961 की धारा 12AA के तहत पंजीकृत किये जाने योग्य है।

12- प्रकरण की सुनवाई के समय प्रश्नागत सोसायटी द्वारा पंजीयन के लिए फार्म नं० 10A में भरे गये आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके कॉलम नं० 4 में उक्त सोसायटी के उद्देश्य, स्पष्ट रूप से उल्लेखित किये गये हैं जो कान्यकुब्ज समुदाय के अलावा आम जनता में भी शिक्षा का प्रसार, निर्धनों की सहायता, सामुदायिक उपयोग के साधन एवं उन्नति के लिए कार्य करना आदि हैं।

13- दाउदी बोहरा जमात वाले प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया है कि जब कोई सोसायटी, धर्मार्थ एवं धार्मिक, दोनों ही उद्देश्यों के साथ गठित की जाती है, तब धारा 12AA के तहत पंजीयन हेतु



प्रस्तुत ऐसी सोसायटी के आवेदन को धारा 13(1)(b) के अनुसार केवल इस आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है, जब उक्त उद्देश्य, किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय या जाति के हित से संबंधित हो।

- 14- प्रकरण के तथ्यों को देखने से यह स्पष्ट है कि आवेदक सोसायटी के उद्देश्य, जैसा कि फार्म नं० 10A के आवेदन से दर्शित है, कान्यकुब्ज समाज के साथ-साथ आम जनता के हित के लिए भी हैं, अर्थात् इस सोसायटी के उद्देश्य धर्मार्थ एवं धार्मिक, दोनों प्रकृति के हैं। ऐसी स्थिति में, आवेदक सोसायटी को अधिनियम 1961 की धारा 12AA के तहत पंजीकृत किये जाने योग्य होने बाबत ITAT का निष्कर्ष, प्रकरण के तथ्यों एवं प्रमाणों के अनुरूप है तथा विधि के विपरीत नहीं है। अतः इस प्रकरण में विधि का कोई सारवान प्रश्न अन्तर्वलित नहीं है।

- 15- फलस्वरूप यह अपील विपक्ष को नोटिस दिये बगैर खारिज की जाती है।

सही/-
(संजय के० अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।